पत्रांक–14 / डी0एल0ए0–(मार्गदर्शन)–06 / 2023–.....56..... / रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

E-Mail

प्रेषक,

सी0 के0 अनिल,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांकः– 15.01.26.

विषयः– लोकहित की विभिन्न परियोजनाओं हेतु की जानेवाली भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय अधिसूचना सं0–521, दिनांक–28.04.2014 एवं विभागीय परिपत्र सं0–1708 / रा0, दिनांक–16.10.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृपया संदर्भ लिया जाय। प्रासंगिक पत्र द्वारा भू–अर्जन अधिनियम,2013 के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के निमित अधिकतम रकवा–50.00 (पचास) एकड़ तक के लिए समुचित सरकार अधिसूचित किया गया है तथा 50.00 एकड़ से ज्यादा भूमि के अर्जन के लिए राज्य सरकार (राजस्व विभाग) के स्तर से धारा–11(1) के तहत (प्रारंभिक अधिसूचना) एवं धारा–19(1) के तहत (अधिघोषणा) निर्गत किये जाने का प्रस्ताव संबंधित जिलों द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जाता है।

2– भू–अर्जन परियोजनाओं की समीक्षा के क्रम में परिलक्षित हुआ है कि कतिपय जिलों द्वारा 50.00 एकड़ से अधिक भूमि के अर्जन हेतु जिला स्तर से ही भू–अर्जन अधिनियम,2013 की धारा–11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त का प्रकाशन भी स्थानीय समाचार–पत्रों में करा लिया गया है। मामला संज्ञान में आने के पश्चात् विभाग स्तर से उक्त के घटनोत्तर स्वीकृति संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाता है, जो कि नियमानुकूल नहीं है।

3– उक्त से स्पष्ट है कि जिला भू–अर्जन कार्यालयों द्वारा विभाग स्तर से निर्गत दिशा–निदेशों का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जबकि इस हेतु विभाग से सतत् रूप से विभिन्न विभागीय परिपत्रों / पत्रों से निदेशित किया गया है।

4— वर्णित तथ्यों के आलोक में पुनः निदेशित किया जाता है कि लोकहित की परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के निमित प्रासंगिक अधिसूचना से निर्धारित अर्जनाधीन भूमि का रकवा 50.00 एकड़ तक के लिए ही समाहर्त्ता भू–अर्जन अधिनियम,2013 की धारा–11(1) के तहत (प्रारंभिक अधिसूचना) एवं धारा–19(1) के तहत (अधिघोषणा) की स्वीकृति एवं प्रकाशन की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अर्जनाधीन भूमि का रकवा 50.00 एकड़ से अधिक होने की स्थिति में भू–अर्जन अधिनियम,2013 तत्संबंधित नियमावली,2014 के प्रावधानों एवं संगत पत्रों/परिपत्रों/ अधिसूचना/संकल्प इत्यादि से निर्गत विभागीय दिशा–निदेश के आलोक में प्रस्ताव गठित कर प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि भू–अर्जन की कार्रवाई में चूक की संभावना को शून्य/नगण्य किया जा सकता है।

5— उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन;

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–56 /रा0, पटना, दिनांक–15.01.26

प्रतिलिपिः–सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–56 /रा0, पटना, दिनांक–15.01.26

प्रतिलिपिः–विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर यथास्थान प्रदर्शित/रक्षित करने हेतु प्रेषित।

14/01/2026

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (The Right to Fair Compensation and Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) की धारा–3(e) के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल द्वारा किसी जिले में लोक उद्देश्य (Public Purpose) हेतु भूमि अर्जन/अधिग्रहण के लिए अधिकतम 50.00 (पचास) एकड़ की सीमा के अन्तर्गत संबंधित जिला के समाहर्त्ता को अधिनियम के अन्तर्गत **समुचित सरकार (Appropriate Government)** अधिसूचित किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(व्यास जी)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/डी0एल0ए0–एल0ए0ए0–नीति–(समाहर्त्ता–उचित सरकार)–16/2014–521/रा0, पटना–15. दिनांक– 28-04-14

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन बिहार गजट के आगामी अंक में करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभागीय प्रयोजनार्थ शीघ्र भेज दी जाय।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/डी0एल0ए0–एल0ए0ए0–नीति–(समाहर्त्ता–उचित सरकार)–16/2014–521/रा0, पटना–15, दिनांक–28/07/14

प्रतिलिपि :–

1. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/सभी अपर समाहर्त्ता/निदेशक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

   सभी समाहर्त्ताओं से अनुरोध है कि इस अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से उनके परिक्षेत्रान्तर्गत चल रहे परियोजनाओं से संबंधित अधियाची विभाग के पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाय।

2. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
5. माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव।

D:\D(AD-2014\Dinesh Sir\Mar-Apr\Sankalp 07.07.14 1 2...

(ग) अर्जनाधीन भूमि के स्वामित्व के प्रकार/वर्गीकरण में अस्पष्टता की स्थिति होना अर्थात भूमि की प्रकृति सरकारी होना एवं उक्त के रैयत के नाम की प्रविष्टि होना।

(घ) अधिसूचना/अधिघोषणा में अधिग्रहित की जानेवाली भूमि का खाता/खेसरा का जमाबंदी/खतियान से अलग अंकित होना।

(ङ) रैयत के नाम में भिन्नता के संबंध में स्थिति स्पष्ट न होना।

4— उक्त से स्पष्ट है कि जिला भू–अर्जन कार्यालयों द्वारा विभाग स्तर से निर्गत दिशा–निदेशों का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जबकि इस हेतु सतत् रूप से विभिन्न विभागीय परिपत्रों से राजस्व अभिलेखों को अद्यतन किये जाने का निदेश दिया गया है। यथा–पत्रांक–48 दिनांक–15.01.2025 एवं पत्रांक–897 दिनांक–12.06.2025 द्वारा भूमि के राजस्व अभिलेखों को अद्यतन किये जाने एवं उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की खतियान/राजस्व अभिलेख इत्यादि से जांच एवं मिलान कर त्रुटि रहित प्रस्ताव गठित करने का निदेश संसूचित है।

5— लोकहित की परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को त्रुटिरहित एवं समय पर पूर्ण करने हेतु भू–अर्जन अधिनियम,2013 एवं तत्संबंधी नियमावली के प्रावधान की संक्षिप्त विवरणी एवं भू–अर्जन की कार्रवाई के विभिन्न प्रक्रम को पूर्ण करने के निमित जांच–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है, जिसके अनुपालन से भू–अर्जन की कार्रवाई में चूक की संभावना को शून्य/नगण्य किया जा सकता है।

6— उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जाय।

अनु0:— 1— भू–अर्जन अधिनियम,2013 के तहत
कार्रवाई के विभिन्न प्रक्रम (कुल–16 पृष्ठ)
2— जांच पत्रक (कुल–06 पृष्ठ)।
3— भू–अर्जन अधिनियम,2013 की संक्षिप्त विवरणी।

विश्वासभाजन,

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–1708 /रा0, पटना, दिनांक–16/10/25

प्रतिलिपिः–सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–1708 /रा0, पटना, दिनांक–16/10/25

प्रतिलिपिः–विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर सुरक्षित स्थान पर रखने हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

पत्रांक–14/डी0एल0ए0/मार्गदर्शन–06/2023–.....1208......./रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

E-Mail

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांकः–16/10/25

विषयः– लोकहित की विभिन्न परियोजनाओं हेतु की जानेवाली भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि राज्यन्तर्गत लोकहत की विभिन्न परियोजनाओं हेतु की जानेवाली भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई संबंधित अधियाची विभाग से प्राप्त अधियाचना के आलाक में भू–अर्जन अधिनियम,2013 के प्रावधानों के तहत की जाती है। अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में बिहार भू–अर्जन नियमावली एवं कतिपय संकल्प, अधिसूचना, परिपत्र एवं पत्र भी विभाग द्वारा निर्गत एवं संसूचित किये गये हैं।

2– इस संबंध में विभागीय संकल्प सं0–521, दिनांक–28.09.2014 के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि संबंधित जिले के समाहर्त्ता को भू–अर्जन अधिनियम,2013 के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के निमित अधिकतम रकवा–50.00 (पचास) एकड़ तक के लिए समुचित सरकार अधिसूचित किया गया है तथा 50.00 एकड़ से ज्यादा भूमि के अर्जन के लिए राज्य सरकार (राजस्व विभाग) के स्तर से धारा–11(1) के तहत (प्रारंभिक अधिसूचना) एवं धारा–19(1) के तहत (अधिघोषणा) निर्गत किये जाने का प्रस्ताव संबंधित जिलों द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जाता है।

3– भू–अर्जन अधिनियम,2013 के तहत् विभिन्न जिलों यथा–नवादा, भागलपुर, लखीसराय, गया एवं सारण द्वारा वर्तमान में कतिपय परियोजनाओं हेतु प्रारंभिक अधिसूचना/अधिघोषणा का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त प्रस्ताव की जांच के क्रम में त्रुटियॉ पाई गई हैं। उक्त त्रुटियों के निराकरण हेतु संबंधित जिलों से पत्राचार किया गया एवं कतिपय निदेश भी दिये गये। तथापि जिलों द्वारा त्रुटियों का परिमार्जन न कर उनका पुनरावृत्ति किया जा रहा है। परिलक्षित कतिपय त्रुटियॉ निम्नवत हैः–

(क) धारा–11(1) के तहत (प्रारंभिक अधिसूचना) के प्रस्ताव प्रारूप में अधिग्रहित भूमि का संबंधित रैयत का रकवा का उल्लेख नहीं होना।

(ख) प्रारंभिक अधिसूचना में प्रकाशित रकवा से अधिक रकवा अधिघोषणा प्रस्ताव/प्रारूप में शामिल करना।